भारत की विदेशी नागरिकता योजना

[स्रोत: द हिंदू](#)

चर्चा में क्यों?

भारतीय सरकार ने एक ब्रिटिश शिक्षाविद का **भारत के विदेशी नागरिक (OCI)** पंजीकरण रद्द कर दिया है, यह कहते हुए कि वह अपनी **लेखनी, भाषणों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किये गए पत्रकारिता कार्यों के माध्यम से भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रही हैं।**

भारत की विदेशी नागरिकता योजना क्या है?

परिचय

- **OCI योजना** को वर्ष 2005 में **नागरिकता अधिनियम, 1955** में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, जो **भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता के बिना भारत में स्वतंत्र रूप से रहने, कार्य करने और यात्रा करने** की अनुमति देता है।
  - वर्ष 2015 में, **भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO)** और OCI श्रेणियों को दस्तावेज़ीकरण तथा लाभों को सरल बनाने के लिये एकीकृत कर दिया गया था।
  - **31 जनवरी, 2022** तक **40.68 लाख OCI कार्ड** जारी किये जा चुके हैं।

पात्रता (Eligibility):

- **पात्रता:** विदेशी नागरिक **(पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर)** निम्नलिखित परिस्थितियों में OCI के लिये पात्र हैं:
  - जो **26 जनवरी, 1950** को या उसके बाद **भारत के नागरिक** थे।
  - जो **26 जनवरी, 1950** को **भारतीय नागरिक बनने के योग्य** थे।
  - उस क्षेत्र से संबंधित जो **15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया**।
  - क्या वे ऐसे **व्यक्तियों के बच्चे, पोते या परपोते हैं।**
  - **ऐसे व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे** या जिनके माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है।
  - **जीवनसाथी की पात्रता:** भारतीय नागरिक या मौजूदा OCI कार्डधारक के विदेशी मूल के पति/पत्नी भी पात्र हैं, बशर्ते कि विवाह पंजीकृत हो और आवेदन से पूर्व कम-से-कम दो वर्षों तक वह विवाह वैध रूप से चला हो।
  - **अपात्र श्रेणियाँ:** जो व्यक्ति वर्तमान में **विदेशी सैन्य सेवाओं** में **कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हैं, वे** OCI दर्जा प्राप्त करने के **पात्र नहीं हैं।**

लाभ (Benefits):

- **वीज़ा विशेषाधिकार:** भारत आने के लिये बार-बार आवेदन करने की आवश्यकता के बिना, बहुउद्देशीय, बहु-प्रवेश और आजीवन वीज़ा प्राप्त करने के पात्र।
- **प्रवासी भारतीयों (NRI) के साथ समानता: वित्तीय, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों** में **प्रवासी भारतीयों (NRI)** के समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन भारत में कृषि/बागान भूमि नहीं खरीद सकते और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बच्चों को गोद ले सकते हैं।
- **नागरिकता का मार्ग: 5 वर्ष तक OCI कार्डधारक होने के बाद** और पिछले 5 वर्षों में **भारत में कम-से-कम 1 वर्ष निवास करने के साथ**, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(g) के तहत भारतीय नागरिकता के लिये पात्र।
- **पेंशन योजना तक पहुँच:** दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति योजना के लिये **NRI** के साथ समान शर्तों पर **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में** शामिल होने के लिये पात्र।

OCI कार्डधारकों की सीमाएँ और प्रतिबंध

- **दोहरी नागरिकता नहीं: OCI को दोहरी नागरिकता** के रूप में **नहीं समझा जाना** चाहिये, क्योंकि भारत अपने कानूनी ढाँचे के तहत **दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति नहीं देता है।**

- **राजनीतिक अधिकार:** OCI कार्डधारक भारतीय चुनावों में **मतदान नहीं कर सकते हैं।**
    - OCI धारकों को **राष्ट्रपति (अनुच्छेद 58)**, **उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 66)**, **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अनुच्छेद 124)** और **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अनुच्छेद 217)** जैसे **संवैधानिक पदों पर आसीन होने से रोक दिया गया है।**
- **विधायी अयोग्यता:** OCI **लोकसभा**, **राज्यसभा** या **राज्य विधानसभाओं** के सदस्य बनने के लिये **पात्र नहीं हैं।**
- **सार्वजनिक रोज़गार प्रतिबंध: अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोज़गार में अवसर की समानता)** के तहत, **OCI कार्डधारक नियमित सरकारी नौकरी** नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि **केंद्र सरकार** द्वारा विशेष अधिसूचनाओं के माध्यम से **विशेष रूप से अनुमति दी गई हो।**
- **गतिविधि-आधारित प्रतिबंध: अनुसंधान**, **पर्वतारोहण**, **मिशनरी/पत्रकारिता कार्य** और **संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिये विशेष अनुमति** अनिवार्य है ।

निरस्तीकरण

- निरस्तीकरण **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D द्वारा नियंत्रित होता है।**
    - **निरस्तीकरण** के आधारों में **आवेदन में धोखाधड़ी या गलत बयान**, **भारत विरोधी कृत्य** और **नागरिकता अधिनियम, 1955** के तहत शर्तों का **उल्लंघन** शामिल हैं।

भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)

- भारतीय मूल का व्यक्ति (**PIO**) एक **विदेशी नागरिक है (पाकिस्तान** , **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को छोड़कर) जो:**
    - **कभी भारतीय पासपोर्ट धारक रहा हो, या**
    - **जिसके पूर्वज (माता-पिता/दादा-दादी/परदादा-परदादी) भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत परिभाषित भारत में या उसके बाद भारत का हिस्सा बने क्षेत्रों में जन्मे हों और स्थायी रूप से निवास करते हों, या**
    - **एक भारतीय नागरिक या PIO** का जीवनसाथी है।

PIO VS OCI

A PERSON OF INDIAN ORIGIN (PIO)	OVERSEAS CITIZEN OF INDIA (OCI)
➤ Means a **foreign citizen** (except a national of Pakistan, Afghanistan Bangladesh, China, Iran, Bhutan, Sri Lanka and Nepal) ➤ **A foreign citizen whose one of the parents/ grandparents/ great grandparents** was **born** and a **permanent resident** of India ➤ Who is a **spouse** of a citizen of India or a PIO	A **foreign national**, who was **eligible** to **become citizen of India** on **26.01.1950** or was a citizen of India on or at anytime after **26.01.1950** or belonged to a territory that became part of India after **15.08.1947** is **eligible for registration as Overseas Citizen of India** (OCI). Minor children of such person are also eligible for OCI. However, if the applicant had ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh, he/she will not be eligible for OCI.
BENEFITS	**BENEFITS**
1. PIO card holders **do not require a visa to visit India** for a period of 15 years from the date of issue of the PIO card. 2. They are **exempted from registration at FRRO/ FRO** if their **stay does not exceeds 180 days**, In case if the stay exceeds 180 days, they shall have to register with FRRO/ FRO within the next 30 days 3. They **enjoy parity with NRIs in economic, financial** and **educational benefits** 4. All **future benefits** that would be **exempted to NRIs** would also be available to the **PIO card holders**	OCIs are **entitled to a multipurpose, multiple entry, lifelong visa** allowing them to visit India at any time, for any length of time and for any purpose ➤ **Exempted from police reporting** for any length of stay in the country ➤ **Have also been granted all rights in the economic, financial and education fields in parity with NRIs** except, the right to acquisition of agricultural or plantation properties

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

□□□□□□□□□□

प्रश्न. भारत के संदर्भ मे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है।
2. जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।
3. जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 3
(d) 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/overseas-citizenship-of-india-scheme